

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 412 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 31 जुलाई 2017—श्रावण 9, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2017

क्र. एफ-बी-07-(बी)-14-2017-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश पंजीयन तथा मुद्रांक कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-तीन में, अनुक्रमांक (2), (3) एवं (4) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“वाणिज्यिक कर विभाग.	(1) सिस्टम एनालिस्ट- कम-डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर.	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई./बी.टेक.	-
				अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ एम.सी.ए./एम.सी.एम./एम.एस.सी. सूचना प्रौद्योगिकी /एम.एस.सी. कम्प्यूटर विज्ञान.	
	(2) सिस्टम मैनेजर	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ कम्प्यूटर विज्ञान /सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई./बी.टेक.	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				अथवा	
				किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ एम.सी.ए./एम.सी.एम./एम.एस.सी. सूचना प्रौद्योगिकी/एम.एस.सी. कम्प्यूटर विज्ञान.	
(3) नेटवर्क मैनेजर		21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई./बी.टेक.	-
				अथवा	
				किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ एम.सी.ए./एम.सी.एम./एम.एस.सी. सूचना प्रौद्योगिकी/एम.एस.सी. कम्प्यूटर विज्ञान.''	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2017

क्र. एफ-बी-7-(बी)-14-2017-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-7-(बी)-14-2017-2-पांच (28), दिनांक 31 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 31<sup>st</sup> July 2017

No. F-B-7-(B)-14-2017-2-V-(28).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments the Madhya Pradesh Registration and Stamp Executive (Gazette) Service Recruitment Rules, 2007, namely:—

#### AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-III, for serial numbers (2), (3) and (4) and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
" Commercial Taxes Department.	(1) System Analyst-cum-Database Administrator.	21 years	40 years	B.E./B. Tech in Computer Science/Information Technology with minimum 60% marks from any recognized University.	-

Or

M.C.A./M.C.M./M.Sc. Information technology/M.Sc. Computer Science with minimum 60% marks from any recognized University.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(2) System Manager	21 years	40 years	B.E./B. Tech in Computer Science/Information Technology with minimum 60% marks from any recognized University. Or M.C.A./M.C.M./M.Sc. Information technology/M.Sc. Computer Science with minimum 60% marks from any recognized University.	-
	(3) Network Manager	21 years	40 years	B.E./B. Tech in Computer Science/Information Technology with minimum 60% marks from any recognized University. Or M.C.A./M.C.M./M.Sc. Information technology/M.Sc. Computer Science with minimum 60% marks from any recognized University..”.	-

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.